

आज दिनांक ... 18/11/25 को उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे ग्राम स्तरीय समिति वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क गोखनपुरा से कालीमाटी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या7..... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है । सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	गोखनपुरा	2.574	0
2	कालीमाटी	0.404	0.386
कुल		2.98 हेक्टेयर	0.386 हेक्टेयर

उपखंड अधिकारी
उप खंड अधिकारी
उपखंड अधिकारी
किशनगंज

उत्तर वन क्षेत्र

किशनगंज/केलवाडा/भंवरगाढ़/वाहरगाढ़

पंचायत समिति किशनगंज

ग्राम सभा की बैठक में वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क
जोरधनपुरा के लिए प्राप्त प्रस्ताव को ग्राम स्तरीय
समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है ।
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी
(वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 की धारा 3(2)
के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर
कोई दावे लंबित नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को
उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है

सहस्री
9 180483822

99 505 08290

सहस्री

आज दिनांक 15.12.2007 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क गोखनपुरा से कालीमाटी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 308 का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 12 पर इन्दाज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	गोखनपुरा	2.574	0
2	कालीमाटी	0.404	0.386
कुल		2.98 हेक्टेयर	0.386 हेक्टेयर

सरपंच

21/12/07

ग्राम पंचायत, गोखनपुरा
सं. सं. 12/2007
ग्राम पंचायत, रामपुर टारिया
पंचायत समिति, किशनगंज

पटवारी
4-8-15
ग्राम सभा, पटवारी
पटवारी, रामपुर टारिया
सं. सं. 12/2007

ग्राम पंचायत, रामपुर टारिया
ग्राम पंचायत, रामपुर टारिया
पंचायत समिति, किशनगंज

आज दिनांक ...16... को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क गोश्चनपुरा से कालीमाटी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या ...3... का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है । सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है । उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक ...15... पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	गोश्चनपुरा	2.574	0
2	कालीमाटी	0.404	0.386
कुल		2.98 हेक्टेयर	0.386 हेक्टेयर

सरापंच

ग्राम पंचायत समिति
ग्राम पंचायत रामपुर टोखिया
पंचायत समिति किशनगंज

4-8-15
हस्ताक्षर पटवारी
पटवार मण्डल
तहसील किशनगंज (बारा)

ग्राम पंचायत समिति
ग्राम पंचायत टोखिया
ग्राम पंचायत रामपुर टोखिया
पंचायत समिति किशनगंज


बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. शर्मा एच. ए. ए. कोटा-6

कोटा-6 : 238

G. P.

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति : रामपुर, डेहिया पंचायत पंचायत समिति : डेहिया नगर जिला : झारखंड वर्ष

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
16.05.2015	डा. देवा	श्री. चामराज	4	1. ग्राम पंचायत में 16.5.15 बुक बंदी 2. श्रीमान रामराज साहिब महोदय उपस्थित 3. 100 पंचायतों का विवरण के पत्र के माध्यम से 4. 110 (68) RD / MPDPA (Common) 2014 5. न्यायिक वार्ड 13 ग्राम 2014 की गिनती का प्रमाण 6. शहीद इतीहास के प्रमाणिक पत्र 40 (85) 2014 शीला 7. नरगा / लखरौली सी. सी. पी. / 2014/19252 8. रामपुर रिनाइट 13 वीं बजट 2014 प्रमाण 9. आ. आ. साहिब महोदय का पत्राचार लक्ष्य 10. (83) आ. आ. / नरगा / सु. न. अ. अ. अ. 11. आ. आ. साहिब / आ. आ. / 2014 / 2014 / 2014 12. 09-03-2015 लक्ष्य शीला न. अ. अ. अ. 13. आ. आ. साहिब महोदय का पत्राचार 14. ग. व. न. न. / 2014 / 2014 / 2014 / 2014 / 2014	

दस्तावेज

62 गांधी स्मृत्युप की कानूनी प्रतिलिपि के लेगी कटौत
रुपय निर्माण कार्य

2/1/20
AGW
PWB

प्रस्ताव 30020214 तथा में वन क्षेत्र में पुराने बनी सड़क आधुनिक
सेक्टर के लिए उदात्त लिए गए जिनको आधुनिक
का निर्माण हेतु अनुभाग विभाजन का अनुमानित
अनुमानित एवं अन्य परमाणु नगर निर्माण (नगरपालिका)
की आ-पानी अधिनियम 2002 की धारा 3 (2) के अंतर्गत
नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त उदात्त वन भूभाग पर
कोई कार्य नही करी है। उक्त कार्य अधिनियम के
अनुसार का उक्त उदात्त वन भूभाग में निर्माण
हेतु अधिनियम की धारा 4
के अंतर्गत सौ का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

2/1/20

गांधी स्मृत्युप की कानूनी प्रतिलिपि के लेगी कटौत
रुपय निर्माण कार्य

गांधी स्मृत्युप की कानूनी प्रतिलिपि के लेगी कटौत
रुपय निर्माण कार्य

OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST BARAN

Sr. no. 11269

Date:- 8/10/15

To
Conservator of forest
KOTA.

Subject: - Diversion of 2.98 Ha of Forest land for construction of Road from Gordhanpura to Kalimati Under RRSMP Scheme in Rajasthan in Baran forest Division.

Proposal No: - **FP/RJ/ROAD/7000/2014**


Reference: - Moef Office (Central region) Letter no. 8B/Raj/06/19/2015/FC/541 Dated: - 24th July, 2015 and User agency letter no.858 Dated- 08/10/2015

Sir,

The point wise reply to EDS submitted by user agency as follows:-

Sr. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	The shortcomings in KML file was pointed out in our letter dated 2 nd march 2015 but it has not been removed .the KML file is not showing the alignment of road and proposed area of Compensatory Afforestation.	Proposal is in EDS mode, it should be in Draft mode to upload corrected KML files. User agency many times contacts NIC Delhi for uploading these KML files but they Refused the request of USER agency. These KML files Has been mailed to NIC Delhi on Dated 11.09.2015 but they told that These KML files couldn't be uploaded now. DCF (Central) also telephonically Directed on Dated 5 th October 2015 to submit these KML files in soft copy and Hardcopy to The Moef Office (Central Zone) Lucknow. We have submitted these KML files in Four soft and hard copies to The DFO Baran.
2	In Part-I, it has been mentioned by the user agency that for present proposal, the forest land is required in two villages namely Gordhanpura and Kalimati whereas the proceeding of gramsabha meeting have been attached for the Village Todiyan .	In Part-I, it has been mentioned by the user agency that for present proposal, the forest land is required in two villages namely Gordhanpura and Kalimati whereas the proceeding of gramsabha meeting have been attached as required. Both of These villages are in Gram Panchayat Rampur todiyan . Gramsabha is held at the gram Panchayat headquarter So Gramsabha proceedings has been attached for Rampur todiyan Panchayat. We have attached corrected gramsabha proceedings in EDS.
3	The proceedings of Sub-Divisional level Committee are general without specifically mentioning the name of village and the required forest land.	The proceedings of Sub-Divisional level Committee are submitted specifying the name of village and the required forest land. We have attached corrected Sub-Divisional level Committee proceedings in EDS.

The above mentioned proposals hereby forwarded for further necessary action please.


Deputy Conservator of forest
District Baran

EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC WORKS DEPARTMENT DIVISION SHAHABAD

Sr. no. 858

Date:-08/10/2015

To

Divisional Forest Officer District Baran

Subject: - Diversion of 2.98 Ha of Forest land for construction of Road from Gordhanpura to Kalimati Under RRSMP Scheme in Rajasthan in Baran forest Division.

Proposal No: - **FP/RJ/ROAD/7000/2014**

Reference: - Moef Office (Central region) Letter no. 8B/Raj/06/19/2015/FC/541 Dated: - 24th July, 2015

Dear Sir,


With Due respect in reference of above mention subject, We submitting the Reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows:-

Sr. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	The shortcomings in KML file was pointed out in our letter dated 2 nd march 2015 but it has not been removed .the KML file is not showing the alignment of road and proposed area of Compensatory Afforestation.	Proposal is in EDS mode, it should be in Draft mode to upload corrected KML files. User agency many times contacts NIC Delhi for uploading these KML files but they Refused the request of USER agency. These KML files Has been mailed to NIC Delhi on Dated 11.09.2015 but they told that Thease KML files couldn't be uploaded now. DCF (Central) also telephonically Directed on Dated 5 th October 2015 to submit these KML files in soft copy and Hardcopy to The Moef Office (Central Zone) Lucknow. We have submitted these KML files in Four soft and hard copies to The DFO Baran.
2	In Part-I, it has been mentioned by the user agency that for present proposal, the forest land is required in two villages namely Gordhanpura and Kalimati whereas the proceeding of gramsabha meeting have been attached for the Village Todiyan .	In Part-I, it has been mentioned by the user agency that for present proposal, the forest land is required in two villages namely Gordhanpura and Kalimati whereas the proceeding of gramsabha meeting have been attached as required. Both of These villages are in Gram Panchayat Rampur todiyan . Gramsabha is held at the gram Panchayat headquarter So Gramsabha proceedings has been attached for Rampur todiyan Panchayat. We have attached corrected gramsabha proceedings in EDS.
3	The proceedings of Sub-Divisional level Committee are general without specifically mentioning the name of village and the required forest land.	The proceedings of Sub-Divisional level Committee are submitted specifying the name of village and the required forest land. We have attached corrected Sub-Divisional level Committee proceedings in EDS.

The above discrepancies have been removed by us and proposal has been submitted for further necessary action please.

Enclosed:-

1. CD with KML files of Road alignment and Compensatory Afforestation in Four copies.
2. Hard Copy of the KML file in four copies.


EXECUTIVE ENGINEER
Public Works Department
Div Shahabad